भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
Security Printing and Minting Corporation of India Limited
मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सं.निमु(मा.सं.)/प्रशा/359-01/115 दिनांक: 05.04.2024

कार्यालय आदेश/Office Order

विषय/**Sub**: एसपीएमसीआईएल, निगम कार्यालय के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, **2013** के तहत आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन/**Constitution of Internal Complaints Committee (ICC) under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 for Corporate Office, SPMCIL.**

कंपनी एक ऐसा कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक महिला कर्मचारी के साथ गरिमा और सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। इसका उद्देश्य एक न्यायसंगत कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है जो महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनुकूल है और अवसरों के संदर्भ में समानता को प्रोत्साहित करता है। कंपनी किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का विरोध करती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है कि कंपनी की महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

The company is committed towards providing a work environment which ensures that each woman employee is treated with dignity and respect. The objective is to promote an equitable work culture that is conducive to the growth of women employees and encourages equality in terms of opportunities. The Company detests any form of sexual harassment and is committed to take all necessary steps to ensure that its women employees are not subjected to any form of harassment.

2. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत प्रावधान के अनुसार निगम कार्यालय, एसपीएमसीआईएल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। हाल ही में हुए स्थानांतरण के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा आईसीसी के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया है :-

In accordance with the provisions under Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 the Internal Complaint Committee (ICC) has been constituted to deal with the complaints of sexual harassment at Corporate Office, SPMCIL. In view of the recent transfers, the competent authority has nominated the following members in the ICC:-

i. सुश्री सीमा रानी, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) – अध्यक्ष/Ms. Seema Rani, Jt. GM (F&A) – Chairperson

5/4/24

☎ 011-23701225-26
011-43582200
पंजीकृत कार्यालय: 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001
Regd. Office : 16th Floor, Jawahar-Vyapar Bhawan, Janpath, New Delhi-110001
फैक्स / Fax : 011-23701223
E-mail : info@spmcil.com
CIN : U22213DL2006GOI144763

ii. श्री कौस्तुभ गौड़, उप महाप्रबंधक (मा. सं.) - सदस्य/Sh. Kaustubh Gaur, DGM (HR) - Member

iii. श्री संजीव शर्मा, प्रबंधक (सू. प्रो.) – सदस्य/Sh. Sanjeev Sharma, Manager (IT) – Member

iv. सुश्री मयूरी रघुवंशी, एओआर - बाहरी सदस्य/Ms. Mayuri Raghuvanshi, AOR – External Member

3. यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर या यदि घटनाओं की श्रृंखला है तो अंतिम घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर पत्र या ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में आईसीसी को अग्रेषित किया जाए।

Any grievance of sexual harassment may be referred to the ICC in writing through letter or e-mail within three months from the date of incident or if there are series of incidents then within three months from the date of last incident.

शिवांगी 1/5/24.

शिवांगी चंद्रा/Shivangi Chandra
उप प्रबंधक/Dy. Manager (विधि/Legal)

प्रति/Copy:

समिति के सभी सदस्य/All Committee Members

प्रतिलिपि/Copy to:

i. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक कार्यालय/Office of CMD

ii. निदेशक (मा.सं.) के कार्यपालक सचिव/ निदेशक (वित्त) कार्यालय/मुख्य सतर्कता अधिकारी के सहायक प्रबन्धक (सचिवीय सेवा) / ES to D(HR)/Office of D(F)/AM (SS) to CVO

iii. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.) /CGM (HR)

iv. महाप्रबंधक (सू. प्रो./तकनीकी) /GM (IT/Technical)

v. कंपनी सचिव/Company Secretary

vi. नोटिस बोर्ड/Notice Board